



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2841]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941

No. 2841]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

का.आ. 3110(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 1 सितंबर, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

क्र. सं.	धाराएं
1.	धारा 2 और 3;
2.	धारा 4 के खंड (i) से खंड (iv) तक (दोनों खंड सम्मिलित);
3.	धारा 5 के खंड (i) से खंड (iii) तक (दोनों खंड सम्मिलित);
4.	धारा 6;
5.	धारा 7 का खंड (i);
6.	धारा 9 और धारा 10;
7.	धारा 14;
8.	धारा 16;
9.	धारा 17 के खंड (ii);
10.	धारा 20;
11.	धारा 21 का खंड (ii);

12.	धारा 22;
13.	धारा 24;
14.	धारा 27;
15.	धारा 28 का खंड (i);
16.	धारा 29 से धारा 35 (दोनों धाराएं सम्मिलित);
17.	धारा 37 और धारा 38;
18.	धारा 41 और धारा 42;
19.	धारा 43;
20.	धारा 46;
21.	धारा 48 और धारा 49;
22.	धारा 58 से धारा 73 तक (दोनों धाराएं सम्मिलित) ;
23.	धारा 75;
24.	धारा 77 के खंड (ख) का उपखंड (i);
25.	धारा 78 से धारा 87 तक (दोनों धाराएं सम्मिलित);
26.	धारा 89;
27.	धारा 91 के खंड (i) का उपखंड (क) और खंड (ii), और
28.	धारा 92.

[सं. आरटी-11012/02/2019-एमवीएल (पार्ट 2)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

S.O. 3110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2019 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

Sl. No.	Sections
1.	Section 2 and 3;
2.	Clauses (i) to (iv) of section 4 (both inclusive);
3.	Clauses (i) to (iii) of section 5 (both inclusive);
4.	Section 6;
5.	Clause (i) of section 7 ;
6.	Section 9 and 10;
7.	Section 14;

8.	Section 16;
9.	Clause (ii) of section 17;
10.	Section 20;
11.	Clause (ii) of section 21;
12.	Section 22;
13.	Section 24;
14.	Section 27;
15.	Clause (i) of section 28;
16.	Section 29 to 35 (both inclusive);
17.	Section 37 and 38;
18.	Section 41 and 42;
19.	Section 43;
20.	Section 46;
21.	Section 48 and 49;
22.	Section 58 to 73 (both inclusive);
23.	Section 75;
24.	Sub-clause (i) of clause (B) of section 77;
25.	Section 78 to 87 (both inclusive);
26.	Section 89;
27.	Sub-clause (a) of clause (i) and clause (ii) of section 91; and
28.	Section 92.

[No. RT-11012/02/2019-MVL (Pt. 2)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.